

बिहार सरकार

विधि विभाग

फैक्स एवं
ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-33/2017.....15.../जे0, पटना, दिनांक 15/01/18.
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गया एवं मुंगेर

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय
उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति-
0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित
राशि से व्यय हेतु निम्नप्रकार कुल-1,81,982/- (एक लाख इक्यासी हजार नौ सौ
बेरासी) रुपये का आवंटन की स्वीकृति।

॥ आवंटित राशि का ब्यौरा ॥

क्र0सं0	न्यायमंडल का नाम	आवंटन की राशि (रूपये में)	पत्र का प्रसंग
1.	गया	1,16,164/- (एक लाख सोलह हजार एक सौ चौसठ)	522/23.12.2017
2.	मुंगेर	65,818/- (पैंसठ हजार आठ सौ अठारह)	82/05.01.2018
कुल-1,81,982/- (एक लाख इक्यासी हजार नौ सौ बेरासी) रुपये			

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय
उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष
2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक 17.4.1998 में दिये
गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- विधि विभाग के ज्ञाप संख्या-681/जे0, दिनांक-17.11.2017 के द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम
से स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की
जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में
व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-33/2017.....15.../जे0, पटना, दिनांक 15/01/18..

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, गया एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-33/2017.....15.../जे0, पटना, दिनांक 15/01/18..

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, गया एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-33/2017.....15.../जे0, पटना, दिनांक 15/01/18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।